

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक  
वाराणसी मण्डल वाराणसी

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक : एन०ओ०सी०/

/2010-11 दिनांक 26/6/2011

विषय:- प्रसाद इण्टरनेशलन रकूल पंच हटिया जौनपुर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किरी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्ण में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल गोर्ड आफ रोकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कॉर्सिल फार दि इण्डियन रकूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रखतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।



9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(ओ०पी० द्विवेदी)

सचिव, मण्डलीय समिति /

संयुक्त शिक्षा निदेशक

वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ०रां०/एन०ओ०सी०/

२८/५६-६२

/2011-12 तदिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
3. शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर।
5. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
6. प्रबन्धक, प्रसाद इण्टरनेशनल रकूल पंच हटिया जौनपुर।
7. गार्ड फाइल हेतु।

(ओ०पी० द्विवेदी)

सचिव, मण्डलीय समिति /

संयुक्त शिक्षा निदेशक

वाराणसी मण्डल वाराणसी



सी०बी०एस०ई० बोर्ड नयी दिल्ली से सम्बद्धता हेतु आयुक्त वाराणसी मण्डल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जौनपुर जनपद में स्थिति प्रसाद इण्टरनेशलन स्कूल पर्चं हटिया जौनपुर के आवेदन पत्र पर संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मण्डल वाराणसी (सचिव) का स्थलीय निरीक्षण / जॉच आख्या :-

शुल्क जमा करने की तिथि -	31-05-2011
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि -	20-05-2011
स्थलीय निरीक्षण की तिथि -	30-05-2011

1. आवेदन शुल्क	विद्यालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क रु० 10,000 दिनांक 31.5.11 को भारतीय स्टेट बैंक जौनपुर में जमा किया गया है
2. सोसाईटी पंजीकरण का	विद्यालय ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1950 के अन्तर्गत प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट मुम्बई के नाम पंजीकृत है, के द्वारा संचालन किया जाता है।
3. विद्यालय का स्वरूप तथा शिक्षण सत्र	सह शिक्षा के रूप में अंग्रेजी माध्यम से संचालित किये जाने की व्यवस्था है। इसके साथ अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था की गयी है।
4. छात्र संख्या का विवरण	विद्यालय में कक्षा-1 से 08 तक बालक/बालिका की कुल छात्र संख्या 268 का उल्लेख है।

#### निरीक्षण के समय छात्र उपस्थिति

कक्षा	1	2	3	4	5	6	7	8	
बालक	18	23	17	26	09	15	19	14	- 141
बालिका	16	08	13	06	15	14	15	11	- 98
योग— 239									


5.	शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का विवरण	विद्यालय में 01 प्रधानाचार्य एवं 13 स०आ० अध्यापक, 02 लिपिक 05 परिचारक हैं। विद्यालय में 11 अध्यापक प्रशिक्षित हैं।
6.	सेवा नियमावली	कर्मचारियों की सेवा नियमावली तैयार की गयी है जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है। अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सेवाएं निर्मित सेवा नियमावली के तहत व्यवहृत की जाती हैं।
7.	भूमि एवं भवन	विद्यालय भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार सदर जौनपुर द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि विद्यालय सोसाइटी के नाम कुल 3 गाटा / 1.493 हेक्टेयर भूमि अंकित है। (तहसीलदार की आख्या

		संलग्न है।)
		विद्यालय में $20 \times 25$ के 20 शिक्षण कक्ष, $20 \times 30$ का 03 प्रयोगशाला 01 प्रधानाचार्य कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, $20 \times 25$ 01 पुस्तकालय कक्ष, 01 कामन रूम, 01 कम्प्यूटर कक्ष निर्मित है। विद्यालय में बालक/बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था की गयी है।
8.	कीड़ा स्थल	निरीक्षण के दौरान कीड़ा उपकरण उपलब्ध पाये गये, कीड़ा स्थल उपयुक्त पाया गया। कीड़ा स्थल हेतु विद्यालय के बगल में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।
9.	पुस्तकालय	विद्यालय में पुस्तकालय कक्ष निर्मित कराया गया है जिसमें छात्र/छात्राओं को बैठककर अध्ययन करने की व्यवस्था की गयी है। विद्यालय में वर्तमान समय में पर्याप्त मात्रा में पुस्तके उपलब्ध है। पुस्तकों के रख रखाव हेतु विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में स्टील एवं शीशे लगी हुयी आलमारिया उपलब्ध है।
10.	विज्ञान प्रयोगशाला	विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान से सम्बन्धित समस्त उपकरण एवं सामग्री उपलब्ध है।
11.	लेखन/शिक्षण सामग्री	विद्यालय में शिक्षण सामग्री की व्यवस्था पर्याप्त रूप में व्यवस्था की गयी है। जिसका उपयोग विद्यालय के अध्यापक/छात्र/छात्राओं द्वारा शिक्षण एवं पठन-पाठन के समय किया जाता है विद्यालय में ब्लैक बोर्ड, कम्प्यूटर, पिन्टर, ग्लोब चार्ट, अन्य सामग्री उपलब्ध है।
12.	शुल्क विवरण	विद्यालय में प्रतिमाह की दर से ली जाने वाली शुल्क जिसमें कक्षावार शुल्क का विवरण आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।
13.	चिकित्सा सुविधा	विद्यालय के छात्र/छात्राओं के आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु फर्स्ट एड बाक्स की व्यवस्था एवं तत्कालिक उपचार से सम्बन्धित सामग्रियों की व्यवस्था की गयी है, जिसका उपयोग छात्र/छात्राओं के उपचार हेतु किया जाता है।
14.	मनोरंजन सामग्री	विद्यालय में मनोरंजन के लिए पर्याप्त मात्रा में मनोरंजन सामग्री की व्यवस्था की गयी है, जिसे समय समय पर बच्चों का मनोरंजन किया जाता है।
15.	विद्यालय कर्मचारियों की ई0 पी0 एफ0 योजना	विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा एवं ई0पी0एफ0 योजना का पत्रावली में उल्लेख नहीं है।

16.	अग्नि सुरक्षा / भूकम्प रोधी व्यवस्था	विद्यालय में अग्निशमन यंत्र संचालित पाये गये। चूंकि विद्यालय भवन प्रथम तल से अधिक निर्मित है जिसके निरीक्षण / परीक्षण हेतु सहायक अभियन्ता अधिकृत है, सहायक अभियन्ता द्वारा नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन निर्मित होने का प्रमाण दिया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
-----	--------------------------------------	--

विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण के समय विद्यालय का अनुशासन / प्रशासन अच्छा पाया गया। विद्यालय में साफ-सफाई एवं हरियाली का पूरा ध्यान रखा गया है। निरीक्षण के समय विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी उपस्थित पाये गये। विद्यालय का वातावरण पठन-पाठ्न के अनुकूल पाया गया।

अस्तु विद्यालय से प्राप्त आवेदन पत्र को अग्रसारित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।



(ओ०पी० द्विवेदी)  
संयुक्त शिक्षा निदेशक  
वाराणसी मण्डल वाराणसी

